...नोई निवासी डाबडी ...प्रहलादराम
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

—: ब ना म :—

...दीगण :—

1 फूलाराम पुत्र श्री जेरूपाराम फौत जिनके वारिसान
  1—(1) रामुराम पुत्र श्री फूलाराम
  1—(2) अर्जुनराम पुत्र श्री फुलाराम
  1—(3) नेनाराम पुत्र श्री फूलाराम
2 मूमल पत्नि श्री अहींगाराम लाऔलाद फौत जिसके वारिसान
  प्रतिवादीगण संख्या 1—(1) से 1—(3) तथा वादीगण
  जाति विश्नोई निवासी डाबडी
  तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

...स्थिति —

1 श्री चन्दनसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।
2 श्री नेनुराम विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1(2) की तरफ से

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट. 1955

— निर्णय — **दिंनाक — 23.03.2022**

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डाबडी के खसरा ...बर 195 रकबा 12 बीघा 5 बीस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 14 बीघा 18 बीस्वा, ...सरा नम्बर 275 रकबा 63 बीघा 2 बीस्वा कुल रकबा 90 बीघा 5 बीस्वा भूमि ...गण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आई हुई है । उपरोक्त वर्णित ...दग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के वारिसान की संयुक्त खातेदारी ...कब्जा काश्त की है । प्रतिवादीगण संख्या 2 ने व उसके पति ने अपने ...जीवनकाल मे वादग्रस्त भूमि मे से अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का दिंनाक ...3.1964 को व दिंनाक 14.7.1976 को जरीये रजिस्टर्ड बेचान के विक्रय कर दी ...थी इसलिए वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 2 का कोई हक हिस्सा व कब्जा ...काश्त नही था । राजस्व रेकर्ड मे पटवारीयो की गलती से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम बेचान के बावजूद यथावत चलता रहा है । हाल ही मे सेग्रीगेशन के ...

हल्का पटवारी ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्से की भूमि अलग से दर्ज की जायेगी तब वादीगण को राजस्व रेकर्ड के बारे मे पूर्ण जानकारी हुई तथा वादीगण ने राजस्व रेकर्ड की नकले व बेचान नामो की नकले लेकर के प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व रेकर्ड मे से निकलवाने तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 –(1) से 1–(3) 1 –(1) के नाम घोषित करवाने हेतू वाद पेश किया । वादग्रस्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 –(1) से 1–(3) का कब्जा काश्त होने से एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 (दो) द्वारा उनके सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बेचान अपने जीवन काल मे ही कर दिया जाने से उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 –(1) से 1–(3) अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है । प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त बेचान के बाद नही रहा है ।वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 2 का पिछले चार दशको से कोई कब्जा काश्त नही होने एवं उक्त सम्पूर्ण भूमि पर पिछले चालीस वर्षो से अधिक समय से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 –(1) से 1–(3) एवं उनके वारिसान का कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादीगण के पक्ष मे बनता है यदि उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादी संख्या 2 का नाम नही हटाया जाने से वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 –(1) से 1–(3) के हिस्से प्रभावित होते है तथा अपने हक हिस्से की भूमि का विकाश कार्य नही करवा सकते है इसलिए वादीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है । अन्त मे वादी ने निवेदन किया कि ग्राम डाबडी के खसरा नम्बर 195 रकबा 12 बीघा 5 बीस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 14 बीघा 18 बीस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 63 बीघा 2 बीस्वा कुल रकबा 90 बीघा 5 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 2 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि वादीगण के नाम घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे ।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण 1–(दो) की तरफ से वकील श्री नेनाराम विश्नोई द्वारा वकालात नामा पेश किया गया अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई । प्रतिवादीगण की तरफ से जबाब दावा पेश करने के कई अवसर दिये गये लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब पेश नही हुआ । तत्पश्चात वादीगण की साक्ष्य ली गई वादीगण ने अपनी साक्ष्य मे गवाह पी.डब्ल्यू–1

सहायक कलेक्टर, बो

Scanned with CamScanner

मांगीलाल, पी.डब्ल्यू–2 नेनाराम, पी.डब्ल्यू–3 हरलाल के बयाने करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे जबामबन्दी ई.एक्स.–1, ई.एक्स.–2 ई.एक्स.–3, प्रदर्शित करवाये गये तथा बेचान रजिस्ट्री ई.एक्स.–4 व ई.एक्स.–5 प्रदर्शित करवाये गये । हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी तथा प.ावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । ई. एक्स.–4 व ई.एक्स.–5 से साबित है कि प्रतिवादी संख्या2 मूमल व उसके पति अहींगाराम ने अपने जीवन काल मे ही अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूम जरीये रजिस्टर्ड बेचान के कर दी थी । वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 2 का कोई हक हिस्सा नही रहा था केवल भूल व गलती से प्रतिवादीगण संख्या 2 का नाम दर्ज है जिसका नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख 2 मूमल का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना उचित व न्याय संगत है ।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम डाबडी के खसरा नम्बर 195 रकबा 12 बीघा 5 बीस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 14 बीघा 18 बीस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 63 बीघा 2 बीस्वा कुल रकबा 90 बीघा 5 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 2 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से घोषित की जाती है । तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे । खर्चा दावा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे ।

सहायक कलक्टर, औसिया

निर्णय आज दिंनाक 23.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर, औसियां